66

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2525-दो/2014 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 16 जुलाई 2014- पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी - प्रकरण कमांक 748/12-13 अपील

1- भैयालाल पुत्र राममनोहर स्वीपर
2- महिला झल्ली पत्नि राममनोहर
(मृत वारिस)
अ- रबिकुमार पुत्र भैयालाल
ब- रंजनकुमार पुत्र भैयालाल
सभी ग्राम कोतरकलॉ तहसील
गोपद बनास जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश व्दारा कलेक्टर सीधी ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 10-07-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी के प्रकरण कमांक 748/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-2014 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम कोतरकलॉ की आराजी कमांक 748 रकबा

1–00 एकड़ पर उनका 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में उनके नाम कब्जे की प्रविष्टि की जाय। तहसीलदार गोपाद बनास ने प्रकरण कमांक 15 अ–6–अ/06–07 पॅजीबद्व किया तथा आवेदकगण की सुनवाई कर आदेश दिनांक 14–10–09 पारित किया तथा कोतरकलॉ की आराजी कमांक 748 मध्य प्रदेश शासन की नजूल भूमि होने से आवेदक का कब्जा दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 205/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–3–13 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी ने प्रकरण कमांक 748/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–7–2014 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम कोतरकलॉ की आराजी कमांक 748 मध्य प्रदेश शासन की नजूल भूमि है जो बेसकीमती है जिसका भूमिस्वामी मध्य प्रदेश शासन है तब क्या शासन की नजूल भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ?

1. **कदीरन विरूद्व धुन्नी खॉ 1995 रा0नि0 219 तथा ग्वालियर एग्रीकल्चर कं0लि0 डबरा विरूद्व छोटेलाल 1994 रा0नि0 411 में बताया गया है कि आधिपत्य की प्रविष्टि के सम्बन्ध में तहसीलदार को अधिकारिता प्राप्त नहीं है। आधिपत्य की प्रविष्टि हेतु तहसीलदार आदेश नहीं दे सकता है।**
2. **चन्दन सिंह विरूद्व कृपाल सिंह 2006 रा0नि0 105 का दृष्टांत है कि के अंतर्गत कब्जा संबंधी कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता।**
3. **रामस्वरूप विरूद्व कलावती 2007 रा0नि0 199 का दृष्टांत है कि – म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 – तहसीलदार को इन उपबंधों के अधीन कब्जा अभिलिखित करने की शक्ति नहीं है।**

स्पष्ट है कि तहसीलदार गोपाद बनास ने प्रकरण कमांक 15 अ-6-अ/ 06-07 में पारित आदेश दिनांक 14-10-09 से आवेदकगण के शासकीय नजूल भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 121 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को निरस्त करने में भूल नहीं की है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास ने आदेश दिनांक 12-3-13 पारित करते समय , अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी ने आदेश दिनांक 16-7-2014 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, केंप कोर्ट सीधी व्दारा प्रकरण कमांक 748/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर